

उत्तराखण्ड शासन



(गढ़वाल क्षेत्र)

लोक निर्माण विभाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम:— मा० मुख्यमन्त्री धोषणा सं० 346/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में समरजैन्स मोटर मार्ग के कि०मी० 18 से ग्राम गैहरासा तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.4025 है० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

जनपद :- देहरादून ।

वर्ष :- 2012-2013

मार्ग की कुल लम्बाई	:- 4.00 कि०मी०
निर्माण लागत (रु०)	:- 29.44 लाख
वन भूमि हेतु गठित प्रस्ताव	:- 0.4025 है०
आरक्षित वन भूमि	:- 0.00 है०
सिविल एवं सोयम वन भूमि	:- 0.4025 है०
पंचायत बंजर भूमि	:- 0.00 है०
निजी / नाप भूमि	:- 2.3975 है०
योग	:- 2.8000 है०

9वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।

अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सहिया ।

विषय सूची

क्र०स०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या
1	प्रतिवेदन।	1
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3
4	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट।	5
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र।	6
7	डिजिटल मैप व सीडी।	7
8	वैकल्पिक संरक्षण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण	8 व 9
9	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	10
10	प्रभावित भूमि का लैंड शैड्यूल।	11 व 11.1
11	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12
12	बार चार्ट।	13
13	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	14
14	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन।	15 से 15.6
15	बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण-पत्र।	16
16	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	17
17	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	17.1
18	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र।	18
19	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र।	19
20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20
21	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम समझौते का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	21
22	भारत सरकार द्वारा निर्धारित पट्टाओं पर लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे० क्षेत्रफल से अधिक के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक
23	वन अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	23 से 23.3 तक
24	परियोजना के निर्माण हेतु भू वैज्ञानिक की आख्या।	26
25	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	27
26	पर्वतीय क्षेत्रों में टैस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	28
27	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	29
28	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/ पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	30
29	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	31
30	परियोजना के निर्माण में कार्बरात श्रमिकों को गिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	32
31	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	33
32	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की सप्तावर्षीय योजना का प्राक्कलन भय माना चित्र।	35
33	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	36
34	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	38
35	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तावर्षीय प्राक्कलन।	39
36	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्य के प्राक्कलन।	41
37	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन।	42
38	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43
39	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत का विवरण। (यदि लागू हो)	46